# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कमांकः– मुसप्र/नीलामी/2017/791 दिनांकः– 25/10/17

## आदेश

मण्डल की 229 वीं बैठक दिनांक 27.01.16 के बिन्दु संख्या 229.21 के क्रम संख्या मे लिये गये निर्णय एवं उप आवासन आयुक्त वृत द्वितीय जोधपुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय जोधपुर एवं मुख्य अभियन्ता द्वितीय द्वारा की गई अनुशंषानुसार चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में मध्यम आय वर्ग–ए का 1, मध्यम आय वर्ग–ब के 3 व उच्च आय वर्ग का 1 कुल 5 स्वतन्त्र आवास जो पूर्व में मण्डल कर्मचारियों को रेन्टल योजना अन्तर्गत आवंटित किये गये थे, वर्तमान में खाली है को नीलामी के माध्यम से निस्तरण की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। निस्तारण किये जाने वाले विभिन्न आय वर्ग के 5 आवासो का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र.सं. | श्रेणी | मकान सं. | मकानो की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | HIG | 17-E-767 | 1 |
| 2 | MIG-B | 17-E-204, 17-442-C, 17-E-734 | 3 |
| 3 | MIG-A | 11/477 | 1 |
| | | कुल | **5** |

उप आवासन आयुक्त वृत द्वितीय, जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय, जोधपुर, परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 मे निर्धारित निम्नलिखित शर्तो के आधार पर नीलामी के माध्यम से निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

1. आवासीय योजना में आवास/ फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/ फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/ फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"

5- आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत द्वितीय, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम, रा0आ0म0 जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक